न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 55/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

26/11/2024

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) –बनाम– रतन साहु वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– **98/2024** एवं **चैनपुर थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **14/2024 दिनांक– 01.11.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** रतन साहु, पे०– हजारी सा०– कटकाही **2.** संजय साहु, पे०– शिवसरण साहु, सा०– कटकाही **3.** दीपक महतो, पिता– स्व० मुनेश्वर महतो, सा०– कटकाही **4.** रॉकी बाड़ा, पे०– अल्फोंस बाडा, सा०– कातिंग **5.** करीम खान, पे०– स्व० हाफीज खान, सा०– बरवेनगर **6.** अरबाज खान, पे०– समीम खान **7.** इबरार खान, पे०– समीर खान **8.** असलम शेख, पे०– रहीस शेख **9.** मनीर खान, पे०– समीर खान चारो सा०– लंगड़ा मोड़ 10. सज्जाद खान उर्फ बदाम, पे०– फरीद खान, सा०– थाना रोड चैनपुर 11. शरीफ खान, पे०– फरीद खान, सा०– थाना रोड चैनपुर, सभी थाना– चैनपुर, जिला– गुमला को **विधान सभा निर्वाचन, 2024** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक– 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। **थाना प्रभारी, चैनपुर** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.10 13:43:28 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner